

भाग-1 सामान्य मामले

अध्याय-2

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्य का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.01	मात्रा का अनुमोदन :-सीधे क्रय के लिए निविदा जारी करने या केन्द्रीयकृत खरीद एजेंसी को मांग पत्र जारी करने से पहले मात्राओं का अनुमोदन।	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.2015 के पत्र सं. 88/आर.एस. (जी)/779 /14 पी टी मद सं. 2.0 (1)	भंडानिक पूर्ण शक्ति मु.सा.प्र. अपने स्वीकृति शक्ति तक	अपने सामान्य क्रय शक्ति तक	अपने सामान्य क्रय शक्ति तक	अपने सामान्य क्रय, शक्ति तक	1. क्रय किए जाने से पहले गैर स्टॉक मामलों के लिए वित्त द्वारा मात्रा की विधीक्षा करा ली जाए। क) संरक्षा मदों के लिए 3 लाख से ऊपर जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.04.2000 के पत्र सं. 99/आर.एस. (आई.सी.) 165 एस.आर.सी. और रे.बो. द्वारा पुनः संशोधित दि.09.09.09 पत्र सं. 99/आर एस/आईसी/ 165/एस. आर. सी. पी. टी. 2 में परिभाषित है। बशर्ते की 10 प्रतिशत परीक्षण जाँच लेखा विभाग द्वारा किया जाए। ख) संरक्षा मदों के अलावा रु. 1.5 लाख से ऊपर के लिए। i) स्टॉफ मदों में निश्चित मात्रा सामग्री तथा 'ए' कैटेगरी मांग पत्र के लिए वित्तीय विधीक्षा की आवश्यकता होगी। ii) मांग पत्र की विधीक्षा भण्डानिक कार्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत खरीद एजेंसी को भेजी जानी हैं। क) 12 लाख से ऊपर संरक्षा मदों के लिए। ख) 6 लाख से ऊपर संरक्षा मदों के अलावा मदों के लिए।
2.02	निविदा का आमंत्रण (क) खुली (विज्ञापित) निविदा	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.2015 का पत्र सं. 88 /आर.एस.(जी) /779/14 पीटी का मद सं. 1.2	भंडानिक पूर्ण शक्ति मु.सा.प्र. अपने स्वीकृति शक्ति तक	अपने स्वीकृति शक्ति तक	अपने स्वीकृति शक्ति तक	अपने स्वीकृति शक्ति तक	i) रु. 15 लाख से अधिक प्राक्कलित लागत की खरीद के लिए खुली निविदा सामान्य प्रक्रिया है। तथापि जहां कहीं आवश्यक समझा जाए इस सीमा से कम मूल्य के लिए भी खुली निविदा आमंत्रित करना अनुमेय है। ii) निविदा का कुल मूल्य, निविदा समिति तथा टी.सी.आर. की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण का मापदण्ड होगा। स्वदेशी मामले में क्रय की शक्तियों के प्रयोग की सक्षमता, कर, शुल्क, किराया एवं सभी वैधानिक लेवी सम्मिलित करते हुए निर्धारित की जाएगी। यह भंडार निविदा तथा कार्य निविदा दोनों के अंतर्गत आने वाली सभी स्तर की निविदा समितियों पर लागू होगा।

CHAPTER - II
PURCHASE

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.01	Quantity Approval - Approval of quantities before placement of indent on centralized procurement agencies or floating of tender for direct purchase.	Item No. 2.0 (1) of Rly. Bd's letter No-88/RS(G)/779/14 pt, dt.-12.03.2015	COS - Full powers. CMM-upto his normal power of acceptance	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase.	Upto his normal power of purchase.	<p>I) Before purchase is arranged, quantity vetting from finance should be obtained for NS indents:</p> <p>a) Above Rs. 3.0 lakh for safety items as defined in letter no. 99/RS(IC)/165/SRC dt 19.04.2000 and further revised vide Board's letter No 99/RS/IC/165/SRCPT 2 dated 09/09/2009 subject to 10% test check by A/Cs.</p> <p>b) Above Rs. 1.5 lakh for other than safety items.</p> <p>i) For stock items vetting shall be required for Fixed Qty MLs and A category demands.</p> <p>ii) Vetting of indents to be placed on centralized procurement agencies by COS office</p> <p>a) Above Rs. 12 lakhs for safety items</p> <p>b) Above Rs. 6 lakhs for items other than safety Items.</p>
2.02	Invitation of Tender (a) Open tender (advertised)	Item No. 1.2 of Rly. Board's letter no-88/RS(G)/779/14 pt. dt. 12.03.2015	COS Full Power, CMM Up to their powers of acceptance	Up to their powers of acceptance	Up to their powers of acceptance	Up to their powers of acceptance	<p>i) Open tenders are normal mode of procurement for purchase estimated to cost over Rs. 15 lakhs. It is however permissible to invite open tender for value less than this limit wherever considered necessary.</p> <p>ii) Total value of tender will be criteria to decide the level of TC and competent authority for acceptance of TCR. Competency to exercise powers of purchase will be decided including taxes, duties, freight & all statutory levies for indigenous cases. This would be applicable to tender committees of all levels covering both Stores tenders & Works tenders.</p>

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.01	ख) सभी प्रकार की वैश्विक निविदा आमंत्रित करना	रेलवे बोर्ड का दि. 12.03.15 के पत्र सं. 88/आर/एस (जी) /779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (17)	विसमुलेधि की स्वीकृति के साथ भंडानिक को उनकी पूर्ण शक्ति तक	शून्य	शून्य	शून्य	विसमुलेधि के व्यक्तिगत सहमति के साथ भंडानिक को व्यक्तिगत रूप से शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। इस शक्ति को नीचे के अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जाना है।
2.02.02	सीमित निविदा (आमंत्रण एवं स्वीकृति) i) सामान्य परिस्थितियाँ	रेलवे बोर्ड का दि. 12.03.15 के पत्र सं. 88/आर एस (जी)/779/14 पीटी की मद सं. 1.1 ए	रु. 15 लाख तक भण्डानिक/मु.सा. प्रबंधक	रु. 15 लाख तक	रु. 8 लाख तक	रु. 3 लाख तक	<p>1) टिप्पणी— 02.02.02 (i) रु. 15 लाख मूल्य की सीमित निविदा जारी करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहमति तथा महाप्रबंधक का अनुमोदन लेना अपेक्षित है।</p> <p>ii) अति आवश्यक मामलों को छोड़कर, यदि सीमित निविदा में एकल कोटेशन प्राप्त हुआ है तो सामान्यतया निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी। अति आवश्यक की स्थिति में एकल निविदा पर भी रु. 1 लाख से अधिक की खरीद के लिए वरि.प्रशा.श्रेणी द्वारा अति आवश्यक प्रमाणित होनी चाहिए। साथ ही दर औचित्य पूर्ण होना चाहिए।</p> <p>iii) स्टॉक मदों के लिए भंडार विभाग के वरि.प्रशा. श्रेणी / कनि.प्रशा.श्रेणी के अधिकारी और (नान स्टाक) मदों के लिए मांग पत्र प्रस्तुत करने वाले विभाग के वरि.प्रशा. श्रेणी / कनि.प्रशा.श्रेणी के अधिकारी मांग की अत्यावश्यकता प्रमाणित करेंगे।</p> <p>iv) रु. 15 लाख मूल्य तक सीमित निविदा के प्रत्यक्ष स्वीकृति के मामलों के लिए पुनः टेण्डर किए गए सीमित निविदा के माध्यम से प्राप्त एकल निविदा को सामान्य निविदा समझा जाएगा और अति आवश्यक प्रमाणित किए बिना निपटाया जा सकता है।</p>

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.1	(B) To invite all types of global tenders	Item No. 2.0 (17) of Rly. Bd's letter No- 88/RS(G)/779/14 pt, dt- 12.03.15	COS Full power up to his power of acceptance with FA & CAO's Concurrence	Nil	Nil	Nil	The powers have been delegated to COS with personal concurrence of FA & CAO. These powers are not to be delegated down below. I) Note: 2.02.02 (i), for LT value above Rs 15 lakhs, prior finance concurrence and approval of GM for issue of LT is required. ii) The Limited Tender should normally be re-invited if a single offer is received, except in case of urgency, where urgency has been certified by an officer not less than a JAG Officer for purchases up to 1 lakh/- and by SAG Officer for purchase above Rs. 1 lakh/- and subject to rates are found to be reasonable. iii) For stock items SAG/JAG officers of Stores Department and for non-stock items SAG/JAG officers of Indenting Department will certify the urgency of the requirement. iv) For direct acceptance cases of Limited tender up to the value Rs. 15 lakhs, single tender received in re-tender limited tender will be treated as normal tender and can be finalized without certifying urgency provided –
2.02.2	Limited Tender (Invitation and acceptance) (i) In normal circumstances	Item No. 1.1 A of Rly. Bd's letter No- 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS/CMM up to Rs. 15 Lakhs	Up to Rs. 15 Lakhs	Up to Rs. 8 Lakhs	Up to Rs. 3 Lakhs	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.02	ii) क) आपात स्थिति (भंडानिक/मु.सा.प्र. के विवेक पर)	रेलवे बोर्ड का दि. 02.03.15 के पत्र सं. 88/आर/एस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 11 बी	भंडानिक /रु. 3 करोड़ तक मुसाप्र रु. 1.5 करोड़ तक	रु. 45 लाख तक	शून्य	शून्य	क) जहां तक संभव हो पुनः टेण्डर की गई सीमित निविदा व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित हो और इस बात पर विचार कर लिया गया हो कि अब पुनः टेण्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ख) दर औचित्यपूर्ण है। ग) क्रय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनः टेण्डर के सीमित निविदा मामले गत आपूर्तिकर्ता तथा संभावित आपूर्तिकर्ताओं को ए.डी. के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भेज दिए गए और उन्हें फैंक्स/ईमेल (यदि संभव है) द्वारा भी सूचित कर दिया गया है। घ) क्रय अधिकारी द्वारा फोन अथवा लिखित रूप से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लेने के बाद सीमित निविदा पैनल में शामिल फर्म काल्पनिक/डमी तो तो नहीं है सीमित निविदा पैनल में शामिल अन्य फर्मों ने किस कारण से निविदा में भाग नहीं लिया, उसका उल्लेख अवरण करना चाहिए अथवा इसे एकल निविदा मान लिया जायेगा। च) ऐसे सभी मामलों में क्रय अधिकारी द्वारा मु.अभिकल्प इंजीनियर को रिपोर्ट किया जाएगा। मु.अभि.इंजीसे अनुरोध किया जाएगा कि वे निवारक कार्यवाही करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं की कमी के कारण की जांच करें। छ) रु. 15 लाख से कम के किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा पूर्ण रूप से किया जाय और गंभीर अनियमितता के मामले को नोट किया जाय, यदि कोई हो, भंडार नियंत्रक औ विमुलेधि स्तर पर आवश्यक निवारक उपाय के लिए इसकी समीक्षा की जाय। (रेलवे बोर्ड का दि. 5.9.03 पत्र सख्या. 2001 / एफ(एस)-1/पी०डब्ल्यू 7/2द का पैरा 4)
	ख) संरक्षा मदों के लिए	वही	भण्डानिक/रु. 3 करोड़ तक मु.सा.प्र. रु. 1.5 करोड़ तक	रु. 45 लाख तक	रु. 8.00 लाख तक	रु. 3.00 लाख तक	
	ग) मद जिसके लिए केवल केन्द्रीयकृत एजेन्सियों/अ.अ. एवं मां. सं. उपक्रम/कोर द्वारा अनुमोदित सूची जारी की जाती है।	वही	भण्डानिक/रु.3 करोड़ तक मु.सा. प्र. रु.1.5 करोड़ तक	रु. 45 लाख तक	रु. 8.00 लाख तक	रु. 3.00 लाख तक	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.2	(ii) a) In emergencies (at the discretion of COS/CMM)	Item No. 1.1B of Rly. Bd's letter No- 88/RS(G)/779/ 14 pt, dt- 12.03.15	COS up to Rs. 3 Crs. CMM up to Rs. 1.5 Crs.	Up to Rs. 45 Lakhs	Nil	Nil	<p>(A) Re-tender LT has been as broad based as possible and it is consider prudent not to re-tender.</p> <p>(B) Rate are reasonable.</p> <p>(C) Purchase officer must ensure the tender notices in retender LT case where dispatched to last supplier and other likely supplier under registered AD cover and they were also intimated through fax/emil if possible.</p> <p>(D) Purchase officer must necessarily record reason for non participation of other firm included in the LT panel after contacting them over phone or in were not included in the LT panel otherwise case will have to be treated as ST case</p> <p>(E) Every such cases will be reported to CDE by purchase officer CDE will requested to examine the reason for shortage of supplier to take remedial action</p> <p>(F) Post audit of the transaction below Rs. 15 lakh should be conducted thoroughly and cases of serious irregularities noted if any should be reviewed at the level COS/ FA&CAO for necessary remedial action (para 4 of boards letter 2001/F(S)-I/PW7/2 dtd. 05.09.03)</p>
	b) For Safety Item	Item No. 1.1 B of Rly. Bd's letter No- 88/ RS(G)/779/ 14 pt, dt. 12.03.2015	COS up to Rs 3 Crs. CMM up to Rs 1.5 Crs.	Up to Rs. 45 Lakhs	Up to Rs. 8 Lakhs	Up to Rs. 3 Lakhs	
	(c) For items for which approved list is issued only by centralized agencies/RDSO/PU/CORE	Item No. 1.1 B of Rly. Bd's letter No- 88/ RS(G)/779/ 14 pt, dt. 12.03.2015	COS up to Rs. 3 Crs. CMM up to Rs. 1.5 Crs.	Up to Rs. 45 Lakhs	Up to Rs. 8 Lakhs	Up to Rs. 3 Lakhs	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.3.	एकल निविदा (आमंत्रण) (क) वित्तीय सहमति के बिना नान प्रोप्राइटरी आर्टिकल के लिए । i) सामान्य परिस्थितियां	रेलवे बोर्ड का दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88 /आरएस (जी) / 779 / 14 भाग के मद सं. 2.0 (2)	भंडार नियंत्रक / मुसाप्र को रु 5 लाख तक	रु. 25000 /—	शून्य	शून्य	नोट. भंडार नियंत्रक / मुसाप्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में महाप्रबंधक का अनुमोदन तथा वित्तीय सहमति अपेक्षित होगा ।
	2) अनुरक्षण उत्पादन प्रचालन इत्यादि को प्रभावित करने वाली आपात स्थिति	वही	भंडारनिक रु. 8 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	
	3) विकासात्मक मदों के लिए	रेलवे बोर्ड का दि.12.03.15 का पत्र सं. 88 / आरएस (जी) / 779 / 14 पीटी की मद सं. 2.0 (23)	भंडारनिक रु. 8 लाख मु.सा.प्र. को रु. 5 लाख	रु. 3 लाख तक	शून्य	शून्य	
2.02.3.	ख) प्रोप्राइटरी सामान i) जहां यह प्रमाणित करना संभव नहीं है कि समतुल्य सामान जो उसके बदले उपयोग किया जा सकता है। वह किसी अन्य फर्मों (पी.एसी 'ए' प्रमाणित द्वारा निर्मित नहीं है।)	रेलवे बोर्ड का दि.12.03.15 का पत्र सं. 88 / आरएस (जी) / 779 / 14 पीटी की मद सं. 2.02 (22)	भंडारनिक रु. 8 लाख / मु.सा.प्र. को रु. 5 लाख	रु. 3 लाख तक	रु. 1.5 लाख तक	रु. 75000 तक	पी.एसी पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम उपभोक्ता विभाग के प्राधिकारी क) मांगकर्ता अधिकारी रु. 40000 /— तक ख) कनि.प्रशा.श्रेणी. / वरि.श्रेणी. अधिकारी रु. 1 लाख तक ग) वरि. प्रशा. श्रेणी. रु 5 लाख तक घ) प्रमुख विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष रु. 5 लाख से ऊपर
	प्रापराइटरी सामान ii) जहां यह संभव हो कि समतुल्य मदों को जो उसके बदले उपयोग किया जा सकता है, उसे अन्य, फर्मों (पी.एसी. 'सी' प्रमाणित) द्वारा निर्मित अथवा विक्रय नहीं किया है।	रेलवे बोर्ड का दि.12.03.15 का पत्र सं. 88 / आरएस (जी) / 779 / 14 पीटी की मद सं. 2.0 (22)	अपने क्रय की सामान्य शक्ति तक	अपने क्रय की सामान्य शक्ति तक	अपने क्रय की सामान्य शक्ति तक	अपने क्रय की सामान्य शक्ति तक	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.02.3	Single tender (Invitation) and acceptance (a) for non proprietary articles without finance concurrence. i) Normal circumstances	Item No. 2.0 (2) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.15	COS/ CMM up to ₹ 5 lakhs	₹ 25000/-	Nil	Nil	Note-Cases beyond power of COS/CMM, shall require finance concurrence and approval of GM
	ii) emergencies affecting maintenance out turn operation etc.	- do-	COS/CMM Upto Rs. 8 lakh	Nil	Nil	Nil	
	iii)for developmental item	Item no. 2.02 (23) of Rly. Bd's Letter No. 88/RS(G)/779/14 pt. dt. 12.03.2015	COS upto 8 lakh CMM upto Rs. 5 lakh	Upto 3 lakh	Nil	Nil	
2.02.3	b) Proprietary Articles I) Where it is not possible to certify that a similar article, which can be used in lieu, is not manufactured by any other firm (PAC “A” certified)	Item 2.0(22) of Rly Bd's Letter No. 88/RS(G)/779/14pt. dt.12.03.2015	COS upto 8 lakh CMM upto Rs. 5 lakh	Up to Rs 3 lakh	Up to Rs 1.5 lakh	Up to Rs 75,000/-	Authority competent to sign PAC of consuming department. a) Indenting Officer up to Rs. 40,000/- b) JAG/SG Officer up to Rs. 1 lakh c) SAG Officer up to Rs. 5 Lakh. d) PHOD / CHOD of user department above Rs. 5 Lakh
	ii) proprietary articles Where it is possible to certify that similar article which can be used in lieu, is not manufactured or sold by any other firms (PAC “C” certified)	Item 2.0(21) of Rly Bd's letter No. 88/RS(G)/779/14 pt. dt. 12.03.2015	Up to his normal power of purchase	Up to his normal power of purchase	Up to his normal power of purchase	Up to his normal power of purchase	COS/CMM/Dy. CMM/SMM/AMM up to their level of acceptance.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ																																				
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/ युप बी																																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																																				
2.03	क्रय स्वीकृति शक्ति (क) गैर डीजीएस एवं डी मदें	रेलवे बोर्ड का दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88 /आरएस(जी) /779/14 पीटी की मद सं. 1	भंडानिक/मु.सा.प्र. क्रय करने की अपनी सामान्य शक्ति तक	क्रय करने की अपनी सामान्य शक्ति तक	क्रय करने की अपनी सामान्य शक्ति तक	क्रय करने की अपनी सामान्य शक्ति तक	<div>1) स्वदेशी/वैश्विक/मशीन एवं संयंत्र इत्यादि सहित सभी मदों को उसी ढंग से डील किया जाएगा।</div> <div>2) स्वीकृति के लिए 2.03 की शक्ति का अनुसरण किया जाएगा 15 लाख से ऊपर की खरीद, निविदा समिति द्वारा की जाएगी।</div> <div>3) निविदा समिति का गठन एवं प्राधिकार रेलवे बोर्ड के दि. 07.12.07 पत्र सं. 2007/एफ (7)–1/ पीडब्ल्यू 7/1(संलग्नक/।।/।) तथा का.आ.सं. 45/2008/ दिनांक 23.09.2008. के सीएस.नं. 11 दि. 26.09.08 के अनुसार होगा, जो निम्नलिखित है—</div> <table><tr><th>क सं.</th><th>निविदा की मूल्य सीमा</th><th>द्वारा स्वीकृत</th><th>भंडार</th><th>उपभोग</th><th>वित्त</th></tr><tr><td>1.</td><td>रु. 15 लाख से 45 लाख तक</td><td>क. प्र. श्रेणी</td><td>व. वे .</td><td>व. वे.</td><td>कनि. वेतनमान</td></tr><tr><td>2.</td><td>रु. 45 लाख से 1.5 करोड़ तक</td><td>व. प्र. श्रेणी</td><td>क.व.प्र. श्रेणी</td><td>क.व.प्र. श्रेणी</td><td>वरि. वेतनमान</td></tr><tr><td>3.</td><td>रु. 1.5 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ तक</td><td>व. प्र. श्रेणी</td><td>क.व.प्र. श्रेणी</td><td>क.व.प्र. श्रेणी</td><td>क.प्र. श्रेणी</td></tr><tr><td>4.</td><td>रु. 3 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ तक</td><td>प्र.वि.अ. मु.वि.अ.</td><td>व.प्र. श्रेणी</td><td>व.प्र. श्रेणी</td><td>व.प्र. श्रेणी</td></tr><tr><td>5.</td><td>रु. 20 करोड़ से ऊपर</td><td>महा प्रबन्धक</td><td>प्र.वि.अ. मु.वि.अ.</td><td>प्र.वि.अ. मु.वि.अ.</td><td>प्र.वि.अ. मु.वि.अ.</td></tr></table> <div>4 स्वदेशी मामले में टीसीआर की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं निविदा समिति के स्तर का निर्णय थोक खरीद के न्यूनतम प्रस्ताव के अनुसार निविदा के कुल मूल्य के आधार पर किया जाएगा। यह भण्डार निविदा तथा कार्य निविदा दोनों के सभी स्तर के निविदा समिति के लिए लागू होगा।</div>	क सं.	निविदा की मूल्य सीमा	द्वारा स्वीकृत	भंडार	उपभोग	वित्त	1.	रु. 15 लाख से 45 लाख तक	क. प्र. श्रेणी	व. वे .	व. वे.	कनि. वेतनमान	2.	रु. 45 लाख से 1.5 करोड़ तक	व. प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	वरि. वेतनमान	3.	रु. 1.5 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ तक	व. प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.प्र. श्रेणी	4.	रु. 3 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ तक	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	व.प्र. श्रेणी	व.प्र. श्रेणी	व.प्र. श्रेणी	5.	रु. 20 करोड़ से ऊपर	महा प्रबन्धक	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.
क सं.	निविदा की मूल्य सीमा	द्वारा स्वीकृत	भंडार	उपभोग	वित्त																																						
1.	रु. 15 लाख से 45 लाख तक	क. प्र. श्रेणी	व. वे .	व. वे.	कनि. वेतनमान																																						
2.	रु. 45 लाख से 1.5 करोड़ तक	व. प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	वरि. वेतनमान																																						
3.	रु. 1.5 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ तक	व. प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.व.प्र. श्रेणी	क.प्र. श्रेणी																																						
4.	रु. 3 करोड़ से ऊपर 20 करोड़ तक	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	व.प्र. श्रेणी	व.प्र. श्रेणी	व.प्र. श्रेणी																																						
5.	रु. 20 करोड़ से ऊपर	महा प्रबन्धक	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.	प्र.वि.अ. मु.वि.अ.																																						

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS																																				
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'																																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																																				
2.03	Purchase / Acceptance Powers. (a) Non D G S & D items.	Item No. 1 of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779 /14 pt, dt. 12.03.2015	COS / CMM-upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	<div><div><div>i) All items including Indigenous/Global/MOD cell/M&P, Medical etc shall be dealt in same manners.</div><div>ii)For acceptance, powers as at 2.03 shall be followed. Purchase above Rs. 15 lakhs shall be dealt by tender committee.</div><div>iii) Constitution of tender committee and authority will be as per Rly. Bd Letter. 2007/F(7)1/PW7/1 dt. 07.12.07 (Annexure II/1) and O.O.No. 45/2008 Dt. 23/09/2008 CS No. 11 Dt. 26/09/2008 and same is as under :</div></div><table><tr><th>S. N.</th><th>Value limit of Tender</th><th>Accepted by</th><th>Stores</th><th>Consumme</th><th>Finance</th></tr><tr><td>1.</td><td>Above 15 lakhs and upto Rs. 45 lakhs</td><td>JAG</td><td>S.S.</td><td>S.S.</td><td>Jr.S.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Above 45 lakhs and upto Rs. 1.5 Crs.</td><td>SAG</td><td>JAG</td><td>JAG</td><td>Sr.S.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Above 1.5 Crs. and upto Rs. 3 Crs.</td><td>SAG</td><td>JAG</td><td>JAG</td><td>JAG</td></tr><tr><td>4.</td><td>Above 3 Crs. and upto Rs. 20 Crs.</td><td>PHOD/CHOD</td><td>SAG</td><td>SAG</td><td>SAG</td></tr><tr><td>5.</td><td>Above Rs. 20 Crs.</td><td>GM</td><td>PHOD/CHOD</td><td>PHOD/CHOD</td><td>PHOD/CHOD</td></tr></table><div><div>iv) Total value of tender based on lowest offer suitable for bulk procurement will be criteria to decide the level of TC and competent authority for acceptance of TCR. for indigenous cases. This would be applicable to tender committees of all levels covering both Stores tender & Works tenders.</div></div></div>	S. N.	Value limit of Tender	Accepted by	Stores	Consumme	Finance	1.	Above 15 lakhs and upto Rs. 45 lakhs	JAG	S.S.	S.S.	Jr.S.	2.	Above 45 lakhs and upto Rs. 1.5 Crs.	SAG	JAG	JAG	Sr.S.	3.	Above 1.5 Crs. and upto Rs. 3 Crs.	SAG	JAG	JAG	JAG	4.	Above 3 Crs. and upto Rs. 20 Crs.	PHOD/CHOD	SAG	SAG	SAG	5.	Above Rs. 20 Crs.	GM	PHOD/CHOD	PHOD/CHOD	PHOD/CHOD
S. N.	Value limit of Tender	Accepted by	Stores	Consumme	Finance																																						
1.	Above 15 lakhs and upto Rs. 45 lakhs	JAG	S.S.	S.S.	Jr.S.																																						
2.	Above 45 lakhs and upto Rs. 1.5 Crs.	SAG	JAG	JAG	Sr.S.																																						
3.	Above 1.5 Crs. and upto Rs. 3 Crs.	SAG	JAG	JAG	JAG																																						
4.	Above 3 Crs. and upto Rs. 20 Crs.	PHOD/CHOD	SAG	SAG	SAG																																						
5.	Above Rs. 20 Crs.	GM	PHOD/CHOD	PHOD/CHOD	PHOD/CHOD																																						

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.03	ख) डीजीएस एवं डी चालू संविदा के तहत आपूर्ति आदेश भेजना	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (6)	भंडानिक पूर्ण शक्ति मु.सा.प्र. अपनी स्वीकृति के स्तर के अनुसार	उपमुसाप्र उनके स्वीकृति के स्तर के अनुसार	वसाप्र उनके स्वीकृति के स्तर के अनुसार	शून्य	डीजीएस एवं डी दर संविधान धारकों के चयन के आदेश के लिए निम्नलिखित कारकों का ध्यान में रखा जाए :- 1. दर संविदा मूल्य। 2. फर्म की क्षमता, आपूर्ति गुणता तथा सामानों को समय से सुर्पदगी के साथ उसका पूर्ण कार्य निष्पादन। 3. रेलवे की सुपुर्दगी आवश्यकताओं के संबंध में फर्म द्वारा सुपुर्दगी तिथि की प्रतिबद्धता। 4. दर संविदा धारक की निकटता जहां कि प्रगति में आसानी तथा सुप्रचालन एवं संविदा प्रबंधन इत्यादि के दृष्टिकोण से निकटता महत्वपूर्ण समझी जाती है। तथा 5. सूक्ष्म, जटिल एवं चयनित अनुप्रयोगों के मामले में ख्याति प्राप्त ब्रांडों की आवश्यकता। 1. रेलों को समय से सुपुर्दगी तथा गुणता से संबंधित पूर्व कार्य निष्पादन का उपयुक्त अभिलेख रखना चाहिए।
2.03	ग) ऐसे मदों की भंडानिक द्वारा सीधी खरीद, यदि उनकी तत्काल आवश्यकता हो अथवा उन्हें स्थानीय या निकट स्टेशन से प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो, जिसके लिए डीजीएस एवं डी ने दर दिया है। चालू संविदा हो।	रेलवे बोर्ड को दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (7)	भंडानिक प्रत्येक मामले में रु. 1.5 लाख एवं अधिकतम सीमा एक वर्ष में रु. 8 लाख हो। मु. सा. प्रबं. शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2. जब कभी वैध संविदा दर उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध दर संविदा से रेलवे की विशिष्टियाँ, सुपुर्दगी आवश्यकताओं और गुणता विचार से आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो रेलवे उस उद्देश्य की औचित्यता का समुचित उल्लेख करने के बाद सामग्रियों की प्रत्यक्ष खरीद कर सकता है। 3. जब कभी समय से सुपुर्दगी और सामग्री की गुणता के संबंध के अंतर्गत विफलता आती है तो ऐसी विफलता की सूची डी. जी. एस. को देनी चाहिए और रेलवे की आवश्यकता को देखते हुए गुणता वाली सामग्री की समय से उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष वैकल्पिक खरीद की कार्यवाई करनी चाहिए। 4. जब कभी वैध डीजीएस एवं डी दर संविदा के न होने पर डीएस एवं डीआरसी मदों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष निविदा आमंत्रित की जाती है और उसके बाद यदि डीजीएस एवं डी संविदा प्राप्त हो जाती है जबकि रेलवे द्वारा मांगी गई प्रत्यक्ष निविदा विचाराधीन है और प्राप्त संविदा दर रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा मांगी गई निविदा में प्राप्त स्वीकार्य दर की अपेक्षा उच्च दर की है तो प्रत्यक्ष निविदा पर अंतिम निर्णय लिया जाए एवं आदेश प्रेषित किया जाए ला दर को छोड़ा न जाए। इसके बाद रेलवे द्वारा अंतिम रूप दिए गए निम्न दर को डीजीएस एवं डी को सूचना के लिए भेजी जाए। तथापि ऐसे मामलों में रेलवे को डीजीएस एवं डी संविदा में संदर्भित सामग्री की गुणता, विशिष्ट, निरीक्षण एवं स्वीकृति के मानक तथा आपूर्ति के प्रत्याशित स्रोत इत्यादि के विषय में संतुष्ट रहना चाहिए।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.03	b) Placement of supply order against DGS & D Rate /Running contract	Item No. 2.0 (6) of Rly. Bd's letter No.- 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.15	COS Full powers CMM/Dy. CMM/SMM-as per their level of acceptance.	as per their level of acceptance	as per their level of acceptance	Nil	1. For selecting the DGS & D Rate Contract holder for ordering, the following factors may be kept in view : i) The Rate Contract Price; ii) The past performance of firm with reference to their capacity, quality of supplies as well as timely delivery of the goods; iii) The delivery date committed by the firm with respect to the delivery requirement of the Railways; iv) The proximity of the rate contract holder, wherever the proximity is considered crucial for timely delivery, case of progressing and from the point of view of logistics and contract management etc. and v) The need for reputed brands in the case of sensitive, critical and selective applications.
2.03	c) Direct procurement of Stores by COS for which DGS & D has entered into rate / running contract, if store are urgently required or can be more conveniently obtained locally or from the nearer station.	Item No.2.0(7) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt.12.03.15	up to Rs 1.5 lakh in each case subject to ceiling limit of Rs 8 lakh in each case Per annum. CMM-Nil	Nil	Nil	Nil	2. The Railways should maintain suitable records for past performance in respect of timely delivery and quality. 3. Whenever the valid rate contracts are not available or the available rate contracts do not meet the requirement of the Railways in respect of the specification, delivery requirement and quality considerations, Railways can go ahead with the direct procurement of material after recording adequate justification for that purpose. 4. Whenever, there are failure against the rate contract in terms of timely delivery and quality of goods, such failures should be reported to DGS & D and direct alternate procurement action may be taken in order to ensure timely availability of quality materials to meet the needs of the Railways. 5. Whenever direct tenders for procurement of DGS & D items are invited in the absence of valid DGS & D rate contracts and subsequently if DGS & D rate contracts are received while direct tenders called for by Rly. are under consideration and such rate contracts are at higher rates than the acceptable rate received in the tenders called for the Railways/PU's then the direct tenders may be finalized and orders placed not to forego the advantageous rates. Thereafter, the lower rates finalized by the Railways may be advise to DGS&D for their information. However, in such cases Railways should satisfy themselves as to the standards of inspection and acceptance, the credentials source of supply etc. with reference to those in the DGS&D rate contracts.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.03	ड) एकल निविदा के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से तेल एवं लूब्रीकेन्ट्स की खरीद।	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (20)	भंडानिक को रु. 5 करोड़ तक मु.सा.प्र. को (बिना टीसी औपचारिकता) रु. 3 करोड़ तक	शून्य	शून्य	शून्य	<p>टिप्पणी—</p> <p>वित्तीय सहमति के साथ प्रत्येक मामले में निविदा समिति की परीक्षण औपचारिकता पूरा किए बिना फर्मों को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना।</p> <p>प्रशासन तंत्र द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं होने की दशा में एकल निविदा के स्थान पर सीमित निविदा आमंत्रित किया जाना।</p>
2.03	च) मेसर्स सेल, टिस्को, रिनल, के स्टाक यार्ड/बफर इम्पोर्टर्स से इस्पात (स्टील) मदों की खरीद के लिए एकल निविदा स्वीकार करना है तथा उन्हें 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना।	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (16)	भंडानिक को रु. 5 करोड़ तक मु.सा.प्र. को (बिना टीसी औपचारिकता) रु. 3 करोड़ तक	शून्य	शून्य	शून्य	
2.03	छ) सामग्री सहायता के लिए डिपो/मंडल अधिकारियों द्वारा अन्य रेलवे इकाइयों को क्रय आदेश भेजा जाए	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (15)	अपने सामान्य क्रय शक्ति तक	अपने सामान्य क्रय शक्ति तक	शून्य	शून्य	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.03	(d) Purchase of traction electric set and price list spare of locomotive from BHEL supplied as the prices decided by Rly. Bd.	Rly. Bd's letter No. 79/RS(G)/779/47 dtd. 12.09.83	COS Full Power CMM up to his normal purchase power without TC formalities	Full Power up to his normal purchase power without TC	Up to his normal power of purchase	Up to his normal power of purchase	Note- In each case with finance concurrence and to make 100% advance payment to the firms, without going into the formalities of tender committee's examination. Limited tender to be called in place of single tender in case prices are not government administered.
2.03	(e) Purchase of oils & lubricants marketed by public sector under taking in single tender basis	Item No. 2.0 (20) of Rly. Bd's letter No. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS up to 5 Crs. CMM up to 3 Crs. (Without TC formalities)	Nil	Nil	Nil	
2.03	(f) To accept single tender purchase from stock yard/buffer import of M/s SAIL, TISCO, RINL in respect of steel items and payment 100% advance to them	Item No. 2.0 (16) of Rly. Bd's letter No. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS up to 5 Crs. CMM up to 3 Crs. (Without TC formalities)	Nil	Nil	Nil	
2.03	g) Placement of purchase orders on other railways unit by depot/divisional officers for material] assistance.	Item No. 2.0 (15) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.15	up to his normal power of purchase	up to his normal power of purchase	Nil	Nil	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.04	क) क्रय आदेश पर हस्ताक्षर करना		पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति	क.प्र.श्रेणी स्तर तक के निविदा समिति के मामले एवं बिना टोसी कार्यवाही के भेल एवं स्टील क्रय के लिए पूर्ण शक्ति	रु. 30 लाख तक	संरक्षा की मदों के लिए 12 लाख से ऊपर तथा गैर संरक्षा मदों के लिए ₹6 लाख मूल्य के क्रय आदेश के मामले में वित्त की विधीक्षा आवश्यक है।
2.04	ख) मांग पत्र पर हस्ताक्षर सामान्य क्रय अनुदान, अग्रिम आवंटन तथा कार्य अनुदान के तहत डीजीएस एण्ड डी के माध्यम से भारत में भण्डार खरीदने के लिए म.प्र. की ओर से मांग पत्र पर हस्ताक्षर।	रे.बो. के पत्र सं 97/आरएस (6)/779/13 दि. 28.8.97 पत्र सं. 93/आरएस (6)/164/1सी ए-3 दि. 10.6.93 एवं पत्र सं 2001/एफ (एस)/1 पी डब्ल्यू/7/2 दि. 05.09.03	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति	शून्य	शून्य	रेलवे बोर्ड के पत्र सं. आर.एस.(पी.ओ.एल.)/58/9- /050/1 नीति दि. 06.08.92 के अनुसार मांग किए गए मदों की गणना के लिए वर्किंग शीट भंडार तथा लेखा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2.04	ग) नए मदों की स्टकिंग के लिए अनुमोदन	रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.10.15 का पत्र सं. 2001/आर एस (आई सी)/विविध/165 /1 भाग 1	भंडार नियंत्रक की पूर्ण शक्ति एसएजी को रु. 15 लाख तक	रु. 5 लाख तक	शून्य	शून्य	ए. दो बार से अधिक वार्षिक निकासी करने वाले सभी उपभोगकर्ता विभाग/उपमुसाप्र/(डी) स्टॉक प्रस्ताव/लगातार स्टॉकिंग की सूचना भेजेंगे। बी. सामग्री बिल (किसी विशेष रेल इंजन/रोलिंग स्टॉक की उत्पादन संरचना) में स्टॉकिंग प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा, अर्थात सभी नान लोको मदों की स्टॉकिंग से पूर्व वित्तिय वेटिंग की आवश्यकता होगी।
2.05	साखपत्र/टीटी के माध्यम से भुगतान एवं एफई निर्मुक्त करना।	रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2007/आरएस (जी)/779/1 तथा रेलवे बोर्ड के दि.12.03.15 के पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/भाग 14 की पैरा सं. 2.0 की मद सं. (18)	भंडार नियंत्रक/मु.सा.प्रब. को उनके स्वीकृति करने की शक्ति तक	शून्य	शून्य	शून्य	1) भंडार नियंत्रक/मुसाप्र को उनकी स्वीकृति शक्ति तक

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.04	a) Signing of Purchase Order		Full Power	Full Power	Up to JAG level TC cases & Full power for BHEL & PSUs Steel purchase Without TC proceeding	Up to Rs. 30 Lakh.	Purchase order valuing, above ₹12 lakhs for safety items and above ₹6 lakhs for items other than safety item will require finance vetting.
2.04	b) Signing of Indent Signing of indent on behalf of GM for purchase of stores in India through DGS & D against general purchase grant, advance allotment and works grant.	Rly. Bd's letter no. 97/RS(6)/779/13 dt. 28.08.97 letter No. 93/RS/(6)/164/I/CA-III dt. 10.6.93 & letter No. 2001/F(S)/I/P W7/2 dtd. 05.9.03	Full Power	Full Power	Nil	Nil	Working Sheet for calculation of indented item should be jointly signed by officer of stores and officer of accounts as per Rly. Bd. letter No. RS(POL)/58/91/0501/Policy dt. 6.8.92.
2.04	(c) Approval for stocking of new items	Rly. Bd's Letter no 2001/RS(IC)/Misc/165/1 Pt.I Dt. 13.10.15	COS Full Power SAG upto ₹15 Lakh	Upto ₹ 5 Lakh	Nil	Nil	a. All users departments/Dy.CMM(D) shall sent stocking proposal /continue stocking only if annual drawl of the items is more than 2 times b. Stocking proposal not appearing in bill of Material(Product structure of a particulars Locomotive / rolling stock.), i.e. all non-loco items shall require finance vetting before stocking.
2.05	a) Release of FE and payment through letter of Credit/TT.	Bd's letter no. 2007/RS(G)/779/1, dt-8.5.14 and item 18 of para 2.0 of Rly Bd's letter no 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS/CMM Upto their power of acceptance	Nil	Nil	Nil	I. COS/CMM upto their power of acceptance.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.06	संविदा की मात्रा में परिवर्तन, बशर्ते कि संशोधित संविदा में दिया गया मूल्य, मूल निविदा में अनुमोदित करने की प्राधिकार की सीमा से अधिक न हो।	रे. बो. का पत्र सं. 98/आर एस (जी) /779/10 (सीएस)/3/03 दि. 25.2.03 और रेलवे बोर्ड पत्र सं. 88/आर एस (जी)/779/भाग 14 दिनांक 12.3.15 के पैरा 2.0 की मद संख्या 28	क्रय आदेश की कुल मात्रा के 30 प्रतिशत तक बशर्ते कि यह क्रय शक्ति से अधिक न हो।	क्रय आदेश की कुल मात्रा के 30 प्रतिशत तक बशर्ते कि क्रय शक्ति से अधिक न हो।	क्रय आदेश की कुल मात्रा के 30 प्रतिशत तक बशर्ते कि यह क्रय शक्ति से अधिक न हो।	क्रय आदेश की कुल मात्रा के +30 प्रतिशत तक बशर्ते कि यह क्रय शक्ति से अधिक न हो।	<ol style="list-style-type: none"> 5 प्रतिशत अथवा रु 5.0 लाख में, जो भी कम हो, से अधिक अन्तर के लिए वित्तिय सहमति आवश्यक है। संविदा के कुल मूल्य से 5 प्रतिशत से अधिक मात्रा अथवा रु 5.0 लाख में जो भी कम हो, के लिए क्रय आदेश में औपचारिक संशोधन तथा मांगकर्ता को संदर्भित किए बिना क्रय आदेश पूर्ण माना जाएगा। बशर्ते कि प्राप्ति/निविदा का मूल्य भण्डार नियंत्रक की सामान्य क्रय शक्ति से अधिक न हो। हटा दिया गया। क्रय आदेश में दी गई मात्रा से 30 प्रतिशत से अधिक के लिए भंडार कोड के पैरा 411 का पालन किया जाएगा।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.06	To vary the quantity in a contract, provided the value of the amended contract does not exceed the power of the authority that approved the original tender.	Rly. Bd. letter 98/RS(G)/779 /10(CS)3 /03 dt.25.02.2003 and item no. 28 para 2.0 of Rly. Bd's letter no. 88/ RS(G)/779/14 pt. dt. 12.03.2015	Up to +30% quantity of P.O. provided it does not exceed the purchase power	Upto +30% quantity of P.O. provided it does not exceed the purchase power	Upto +30% quantity of P.O. provided it does not exceed the purchase power	Upto +30% quantity of P.O. provided it does not exceed the purchase power	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finance concurrence is necessary for variation in quantity exceeding 5% or ₹ 5.0 lakh whichever is less. 2. The PO may be treated as completed for a quantity excess up to 5% of the total value of the contract or ₹ 5.0 lakh whichever is less without formal amendment of the PO and without reference to the indenter, subject to provision that value of receipt/ tender does not exceed normal power of purchase of COS. 3. Deleted 4. For more than +30% quantity of P.O., para 411 of Stores code will be followed.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.07	क) संविदा में औपचारिक संशोधन के बिना डिपो के अधिकारियों द्वारा अधिक/कम आपूर्ति की स्वीकृति	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 भाग की मद सं. 2.0 (28)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	संविदा के 5 प्रतिशत के मूल्य तक या रु. 5 लाख जो भी कम हो, बशर्ते कि प्राप्ति का कुल मूल्य भंडार नियंत्रक के सामान्य क्रय शक्ति से अधिक का न हो
2.07	ख) प्रेषिती द्वारा सुपुर्दगी अवधि बीतने के बाद प्रेषित भंडार की स्वीकृति	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 भाग की मद सं. 2.0 (27)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	क) रु. 5 लाख तक के आदेशित मूल्य के लिए छः माह तक विलंब। ख) रु. 5 लाख से रु. 8 लाख के बीच आदेशित मूल्य के लिए आरंभिक सुपुर्दगी अवधि के 21 दिन तक विलम्ब की अनुमति। परन्तु यह अवधि 6 महीने से अधिक न हो। 8 लाख से ऊपर के सभी अन्य आदेशों के लिए आरंभिक सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि क्रय कार्यालय द्वारा पहले ही प्राप्त करनी होगी। रेलवे बोर्ड के दिनांक 27.02.1980 के पत्र सं. 73/आरएस(जी)/779/59 में दी गई शर्तों के अनुसार।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.07	a) Acceptance of Excess/Short Supply by Depot Officers without formal amendments to the contract	Item No. 2.0 (28) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779 /14 pt, dt. 12.03.2015	Nil	Nil	Nil	Nil	Up to 5% of the value of contract or Rs.5 Lakhs whichever is less subject to total value of receipt not exceeding normal purchase power of COS.
2.07	b) Acceptance of Store dispatched after the expiry of delivery period by the consignee.	Item No. 2.0 (27) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779 /14 pt, dt. 12.03.2015	Nil	Nil	Nil	Nil	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान / ग्रुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.01	क) पूर्व वित्तीय सहमति के बिना संविदा के आई आर एस शर्तों से अंतर की स्वीकृति	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88 /आरएस(जी) / 779 / 14 पीटी की मद सं. 2.0(8)	भं.नि. / मुसाप्र सामान्य क्रय शक्ति तक पूर्ण शक्ति	टीसी मामले में स्वीकृति की सामान्य शक्ति तक	शून्य	शून्य	प्रत्यक्ष स्वीकृति के मामले में सामान्य स्वीकृति शक्ति से एक स्तर ऊँचा परन्तु कनि.प्रशा. श्रेणी से नीचे नहीं।
2.08.01	ख) छोटी वसूलियों में असंगत प्रशासनिक व्यय से बचने के लिए 8 लाख मूल्य तक संविदा के बाद की स्थिति में आने वाले "निर्धारित हर्जाना", "जोखिम क्रय" और "मध्यस्थता" से सम्बन्धित संचालन खण्ड में छूट देना।	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88 /आरएस(जी) / 779 / 14 पीटी की मद सं. 2.0 (25)	भं.नि. को 8 लाख तक पूर्ण शक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.1	a) Acceptance of deviation from IRS condition of Contract without prior financial concurrence.	Item No. 2.08 (8) of Rly. Bd's letter No. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS/CMM full power upto his normal power of purchase	JA in TC cases upto normal power of acceptance.	Nil	Nil	In direct acceptance cases-one level higher than normal powers of acceptance but not below the level of JA Grade.
2.08.1	b) COS may waive operation of clauses relating to "Liquidated damages" Risk purchases and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract up to Rs. 8 lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries.	Item No. 2.0 (25) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	COS full power up to Rs. 8 lakh	Nil	Nil	Nil	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.01	ख) छोटी वसूलियों में असंगत प्रशासनिक व्यय से बचने के लिए 5 लाख मूल्य तक संविदा के बाद की स्थिति में आने वाले "निर्धारित हर्जाना" "जोखिम क्रय" और "मध्यस्थता" से संबंधित संचालन खण्ड में छूट देना।	वही	भं. नि. को 5 लाख तक पूर्ण शक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	<p>1. इस मामले की असमान्य शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए इसके स्थान पर ऐसी शर्तों को निविदाकार द्वारा वापस लेने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।</p> <p>2. मूल्य में सांविधिक अंतरवाली शर्तों के साथ निविदाओं की स्वीकृति के लिए पूर्व वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन अंतरो के बारे में संबद्ध वित्त तथा विधि अधिकारी से सर्वदा परामर्श किया जाना चाहिए।,</p> <p>3. किसी कारक की मूल कीमत लागू करने के लिए तथा मूल्य में अंतर के दावा की कार्य प्रणाली का निपटारा पहले ही कर लिया जाना चाहिए।</p>
2.08.02	मूल्य में अन्तर तथा मजदूरी बढ़ने की स्थिति में निविदाओं को स्वीकार करना	रे.बो. का पत्र सं.70/आर एस (जी)/779/46 दि० 13.03.81 और दि० 11.01.82					
	क) स्वदेशी भण्डार— संविदा होने के बाद सरकार या अन्य निकाय या अन्य निकाय जैसे जे. पी. सी. आदि द्वारा कीमतों, टैक्सो, शुल्कों तथा पी. वी. सी. आदि में परिवर्तन की घोषणा के कारण सांविधिक अंतर		उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	
	ख) आयातित भण्डार— पी.वी.सी., कीमतों, टैक्सों, पी.वी.सी.इत्यादि में सांविधिक परिवर्तन बशर्ते कि संविधान में पी.वी. वी. सूत्र का प्रावधान हो।		उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	
	1. मूल्य में तेजी से उतार चढ़ाव से प्रभावित होने वाले कच्चे माल की लागत						
	2. विनिमय दर में अंतर		वही	वही	वही	वही	
	3. आयात शुल्क जैसे सीमा शुल्क समुद्री भाड़ा में सांविधिक परिवर्तन		वही	वही	वही	वही	
	4. बी ई ए एस ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन का विशेष मूल्य समंजन		वही	वही	वही	वही	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.2	To accept tenders with price variation and wage escalation terms.	Rly. Bd.'s letter no. 70/RS(G)779/46 Dt. 13.03.81 and 11.01.82					<p>I. Abnormal condition should be not be accepted as matter of course, instead attempts should be made to get such conditions withdrawn by the tenderer.</p> <p>ii. Prior finance concurrence is not necessary for accepting tenders with conditions covering statutory variation in price but in respect of others variation, associate finance and law office should always be consulted.</p> <p>iii. These basic prices of the factors to effect and the methodology to arrive at price variation claims should be settled in advance.</p>
	a) INDIGENOUS STORES : Statutory variation in prices, taxes, duties, PVC etc, due to changes announced by Govt. or other bodies like JPC etc., after awarding of the contract.		Upto his normal power purchase.	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	
	b)IMPORTED STORES : Statutory variation in prices, duties, PVC etc., subject to provision of a PV formula in the contract.		Upto his normal power purchase.	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	Upto his normal power of purchase	
	i) Cost of raw materials susceptible to sharp price fluctuation.						
	ii) Variation in exchange rates.		-do-	-do-	-do-	-do-	
	iii)Statutory change in import duties viz; customs, sea freight.		-do-	-do-	-do-	-do-	
	iv)Special price adjustment of BEAMA group (British Electrical and Allied Manufacturing Association).		-do-	-do-	-do-	-do-	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.03	उनके द्वारा अनुमोदित क्रय के संबंध में प्रतिष्ठित वाणिज्यिक फर्मों के भण्डार प्रेषण एवं निरीक्षण के प्रमाण पर अग्रिम भुगतान क)चालू संविदा के मामले में चालू संविदा के अलावा अन्य मामले में	पत्र सं. 77 / आर एस (जी) / 779 / 29 दि० 29.12.77	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 98 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 98 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 98 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	शून्य	1. 98 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान की शर्तों को स्वीकृत करने के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। फिर भी निविदा समिति केस के माध्यम से खरीद हेतु अलग से वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। 2. मशीनरी एवं संयंत्र मदों के मामले में अग्रिम भुगतान खरीद मूल्य के केवल 90 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। 3. जहाँ भुगतान बिना निरीक्षण के प्राधिकृत किया जाता है वहाँ बैंक गारंटी प्राप्त की जाए। वही.....
	ख)सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में	रे. बो. पत्र सं. 67 आर एस (6) 75 / 3 / 29 दि. 03.01.78	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 100 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 100 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	उनके क्रय शक्ति के अंदर मूल्य के 100 प्रतिशत पूर्ण शक्ति	शून्य	
2.08.04	रेलवे स्टैंडर्ड फोर्स मैज्यूर क्लास सहित निविदा की स्वीकृति	रे. बो .का दि. 27.09.77 का पत्र सं. 75 / आर एस (जी) 146 / 1	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	शून्य	
2.08.05	गैर स्टैंडर्ड फोर्स मेज्यूर क्लास सहित निविदा स्वीकृति		उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	शून्य	शून्य	1. क्रय के लिए स्टैंडर्ड फोर्स मेज्यूर क्लास सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठ वेतनमान से कम नहीं हो। ऐसे मामलों में विधि अधिकारी और वित्त का परामर्श आवश्यक नहीं है। 2. रु. 5000 /- से कम की संविदा के मामलों में यथासंभव फोर्स मैज्यूर क्लास शामिल नहीं करना चाहिए। खास तौर से उस समय जब प्रतिष्ठित फर्म / निर्माता को आदेश न दिया गया हो। क्रय के लिए गैर स्टैंडर्ड फोर्स मेज्यूर क्लास सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकता है, लेकिन उप सा.प्र. स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं। ऐसे मामलों में विधि अधिकारी और वित्त का परामर्श आवश्यक है।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.08.03	Payment in advance in respect of stores on proof of dispatch and inspection to well-known firms of commercial standing in respect of purchase approved by them. a) In case of Running Contract/ other than Running Contracts..	L.No.77/RS (G)/779/29 dt. 29.12.77.	Full powers upto 98% of the value within his power of purchase	Full powers upto 98% of the value within his power of purchase	Full powers upto 98% of the value within his power of purchase	Nil	1. Finance concurrence is necessary for accepting advance payment terms more than 98% However separate finance concurrence may not be required for purchase through TC case. 2. In case M&P items advance payment should be restricted to 90% of the value of purchase only. 3. Where such payments are authorized without inspection, bank guarantee should be obtained. -do
	b) In respect of public Sector Undertaking	Rly. Bd's letter No.67/RS/(6)/ 753/29 dt. 03.01.78	Full powers upto 100% of the value within his power of purchase	Full powers upto 100% of the value within his power of purchase	Full powers upto 100% of the value within his power of purchase	Nil	
2.08.04	Acceptance of Tender With Railway Standard Force Majure Clause.	Rly. Bd. letter No. 75/RS(G)/146 /1 dt. 27.9.77	Upto his normal power of purchase.	Upto his normal power of purchase.	Upto his normal power of purchase.	Nil	
2.08.05	Acceptance of Tender with non- standard Force Majure clause.		Upto his normal power of purchase.	Upto his normal power of purchase	Nil	Nil	Non-standard Force Majure clause may be accepted by the competent authority for purchase but not below the level of Dy. CMM, however consultation with law officer and finance is necessary in such cases.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	क) फर्म के जोखिम पर आई. आर. एस. शर्त के पैरा 702 ख के अनुसार संविदा रद्द करना।	पैरा 132 एस (मद- 5)	उनके द्वारा या निचले स्तर के प्राधिकारी अथवा म. प्र. द्वारा अनुमोदित संविदा के संबंध में पूर्ण शक्ति	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है। हानि/नुकसान की मात्रा निर्धारित करने और वसूली निमित्त वित्तीय सहमति आवश्यक है। यदि क्रय आदेश का मूल्य रु 6 लाख से अधिक हो अथवा संरक्षा के मामले में रु 12 लाख से अधिक हो तो इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय सहमति के साथ किया जायेगा!
	ख) संविदा का निरस्तीकरण एवं किसी हानि अथवा नुकसान की वसूली जो कि रेलवे को ठेकेदार के असफल होने/ ठेकेदार की जोखिम पर दूसरी जगह से खरीदे जाने पर उठानी पड़ी हो		उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	
	ग. बिना वित्तीय प्रभाव अथवा सामान्य नुकसान से संविदा रद्द करना।	दिनांक 12.3.15 के क्रमांक 88/आर एस (जी)/779/14 भाग	उनके द्वारा अथवा किसी निचले अधिकारी अथवा महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित संविदा के संबंध में पूर्ण शक्ति	उनके द्वारा अनुमोदित संविदा के लिए पूर्ण शक्ति	उनके द्वारा अनुमोदित संविदा के लिए पूर्ण शक्ति	उनके द्वारा अनुमोदित संविदा के लिए पूर्ण शक्ति	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	a) Cancellation of contract at firms risk as per clause 702 (b) of IRS condition of contract.	Para 132-S (items 5)	Full power In respect of contracts approved by him or a lower authority or by G. M.	Up to his normal power of Purchase	Up to his normal power of Purchase	Up to his normal power of Purchase	These powers can be exercised without finance concurrence.
	b) Cancellation of the contract with recovery of any loss or damage which the railway may sustain due to reasons of such failure on the part of the contractor, or purchase elsewhere at the contractor's risk.	C.S.No. 15 GM/Admn./0 1/046 Dt-23.3.01	Up to his normal power of purchase.	Up to his normal power of Purchase	Up to his normal power of Purchase	Up to his normal power of Purchase	Finance concurrence will be required to determine the quantum of loss/damage and recovery.
	c) Cancellation of contract without financial repercussion or with general damages .	No-88/RS(G) 779/14 pt. dt.12.03.2015	Full power In respect of contracts approved by him or a lower authority or by G.M.	Full powers for contracts approved by him.	Full powers for contracts approved by him.	Full powers for contracts approved by him.	These powers will be exercised with finance concurrence if P.O value is abvoe Rs 6 lakhs/- or above Rs. 12Lakhs in case of safety items.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	घ) निर्धारित अवधि के अन्दर भण्डार की सुपुर्दगी में असफल होने पर सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि दण्ड लगाने अथवा अधित्याग की शक्ति	पैरा 445—एस एण्ड 132 एस, रे.बो. का पत्र सं. 86/आरएस (जी)/779/8 दि. 22.02.90/2007/ आरएस (जी) 779/1 दि० 28.04.08, 20.10.08 एण्ड 06.02.09	भंडानिक को पूर्ण शक्ति मु. मा. प्र. को उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक पूर्ण शक्ति	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक पूर्ण शक्ति	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक पूर्ण शक्ति	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक पूर्ण शक्ति	सुपुर्दगी तिथि में वृद्धि निविदा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेक से मंजूर किया जाए बशर्ते कि :— क) सुपुर्दगी तिथि की शर्त पर न्यूनतम निविदा से अधिक दर की संविदा स्वीकृत नहीं की गई हो। ख) वह संतुष्ट है कि विलंब के कारण क्षति अथवा खराबी नहीं होगी। विशेष क्रय के मामले में मांगकर्ता पार्टी यह प्रमाणित करता है कि विलंबित सुपुर्दगी से कोई क्षति नहीं हुई है। ग) किसी मामले में जिसमें किसी अथवा उपर्युक्त दोनों शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी मंजूरी केवल वित्त के परामर्श और वैधानिक परामर्श, यदि आवश्यक है तो, लेने के बाद ही दी जाएगी। घ) पुनर्निर्धारण/अंतरण के लिए आशोधन (एम.ए) जारी करने से पहले वित्त द्वारा विधीक्षा कराई जानी चाहिए। ङ) महाप्रबंधक महोदय/ रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के तहत किए गए क्रय के संबंध में भण्डार नियंत्रण के पास शक्ति होगी। उनके पास उक्त मामलों में वित्त सलाहकार एवं मु.ले.अ. की सहमति से दण्डों को माफ कर की शक्ति होगी।
	ड़) निर्धारित समय के अंदर भण्डार सुपुर्दगी की असफलता के लिए दण्ड	रेलवे बोर्ड का दि० 06.02.09 का पत्र सं. 86/आरएस (जी)/779 का पैरा 445—एस और 132 एस	भंडानिक को पूर्ण शक्ति। मु.सा.प्र. को उनकी क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	1. संविदाकार की तरफ से ऐसी असफलता द्वारा रेलवे बोर्ड नुकसान या क्षति के कारण संविदा निरस्त करना और वसूली। या 2. संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर जमानत जमा करना जैसा कि संविदा की शर्तों में उल्लिखित है। या 3. संविदाकार की जोखिम पर अन्य जगह से खरीद। या 4. संविदाकार की सहमति से निर्धारित हर्जाना को वसूल करना, दण्ड के रूप में नहीं। वह किसी भण्डार मूल्य (कर, उत्पाद, दुलाई, भाडा इत्यादि तत्वों को शामिल करते हुए) के 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) के बराबर हो, जिसके लिए संविदा में सुपुर्दगी के लिए नियत तिथी तक संविदाकार के असफल होने या जैसा कि प्रत्येक

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	d) Extension of delivery period and power of imposing or waiving penalty for failure to deliver stores within the stipulated period.	Para 445-S & 132-S Rly. Bd's letter No 86/RS(G)/779 /8 dated 22.2.90 2007/RS(G)/ 779/1 dt. 28.04.2008, 20.10.2008 & 06.02.2009	COS Full power CMM Full powers upto his normal powers of purchase.	Full power Up to his normal power of Purchase	Full power Up to his normal power of Purchase	Full power Up to his normal power of Purchase	The extension of delivery dates may be sanctioned at the discretion of the authority, which accepted the tenders provided that :- a. The rate in the contract was not accepted against other lower tenders in consideration of the date of delivery; b. He is satisfied that the delay will not cause loss or damage. In case of special purchases, the indenting party certifies that no loss on account of late delivery would be sustained; and c. In any case which does not satisfy or both of the above conditions, such sanction shall be given only in consultation with Finance and after taking legal advice, if necessary. d. DP refixation /deferment should be got vetted by finance before issue of MA e. In respect of purchases made under the General Manager's sanction, Controller of Stores has powers of DP re-fixation/deferment with finance concurrence . He has also powers to waive penalties in such cases, with the concurrence of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer.
	e) Penalties for failure to deliver stores within the stipulated time.	Para 445-S & 132-S Rly. Bd's letter No 86/RS(G)/779 / 06.02.2009 and letter no. 2003/RS/(G)/ 779/9 dtd. 23.10.13	COS Full powers. CMM Full powers upto his normal powers of purchase	Full powers Upto his normal power of purchase.	Full powers Upto his normal power of purchase.	Full powers Upto his normal power of purchase.	i) Cancellation of the contract and recovery of any loss or damage which the railway may sustain by reason of such failure on the part of the contract, or ii) Forfeiting of Security Deposit at the rate of 10% of contract value, provided the same has been submitted as per contract condition. Or iii) Purchase elsewhere at the contractor's risk. Or iv) Recover from the Contractor as agreed Liquidated Damages and not by way of penalty, a sum equivalent to 2% (Two percent) of the price of any stores (including elements of taxes, duties, freight, etc.) which the contractor has failed to

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							<p>माह के लिए बढ़ाई गई तिथि या महीने के किसी भाग में ऐसे भंडार के बकाए की सुपुर्दगी जहां उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद सुपुर्दगी स्वीकार की गई हो, बशर्ते कि विलम्बित आपूर्ति की अधिकतम दस प्रतिशत मूल्य के बराबर हो। बढ़ाई गई अवधि के लिए निर्धारित हर्जाना की गणना निम्न प्रकार की जाएगी।</p> <p>24.12.09 से 23.01.10 – 2 प्रतिशत निर्धारित हर्जाना 24.01.10 से 23.02.10 – 2 प्रतिशत निर्धारित हर्जाना 24.02.10 से 05.03.10 – 2 प्रतिशत निर्धारित हर्जाना कुल – 6 प्रतिशत</p> <p>आपूर्ति संविदा में सामान्य रूप से विलम्बित आपूर्ति के लिए सामान्य निर्धारित हर्जाना लगाना या निर्धारित हर्जाना में छूट की कोई पद्धति नहीं है। आपूर्ति संविदा में विलम्बित आपूर्ति के लिए निर्धारित हर्जाना में छूट या सामान्य निर्धारित हर्जाना लगाने को बहुत कड़ाई से अपवाद—</p> <p>— स्वरूप स्थिति में और बहुत विशेष परिस्थिति में जहाँ आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो, दिया जा सकता है।</p> <p>2. महाप्रबंधक महोदय की स्वकृति/रेलवे बोर्ड के आदेश के अंतर्गत खरीद के संबंध में भंडानिक द्वारा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि की स्वीकृति की जा सकती है। उनके पास उक्त मामलों में विसमुलेधि की सहमति से दण्ड लगाने या छूट देने की भी शक्ति है।</p>
2.09	च) ईएमडी/एसडी जब्त करना	रेलवे बोर्ड का दि० 06.02.09 का पत्र सं. 86/आरएस (जी)/779 का पैरा 132-एस मद स 15 (11)	भंडानिक/मु.सा.प्र. को उनकी क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनकी सामान्य क्रय शक्ति तक	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							<p>deliver within the period fixed for delivery in the contract or as extended for each month or Part of a month during which the delivery of such stores may be in arrears where delivery thereof is accepted after expiry of the aforesaid period, subject to a maximum of ten percent of value of the delayed supplies. method to calculate the LD in the extended period will be as under :- 24.12.09 to 23.01.10----2% LD 24.01.10 to 23.02.10----2% LD 24.02.10 to 05.03.10----2% LD Total 6%</p> <p>There should normally be no system of waiver of LD and imposition of Token LD for delayed supplies in supply contracts. System of waiver of LD and imposition of Token Liquidated Damages for delayed supplies in supply contracts Will strictly be an exception rather than rule and only in situations where the circumstances leading to delays in supplies were beyond the control of supplier.</p> <p>2.In respect of purchases made under the General Manager's sanction/Railway Board, the Controller of Stores has powers of granting extensions of delivery periods. He has also powers to impose or waive penalties in such cases, with the concurrence of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer These power can be exercised without financial concurrence</p>
2.09	f) Forfeiture of EMD/SD.	Para132-S item 15(ii) Rly. Bd's letter No 86/RS(G)/779/06.02.2009	COS/CMM Full powers Upto his normal power of purchase.	Full powers Upto his normal power of purchase.	Full powers Upto his normal power of purchase.	Full powers Upto his normal power of purchase.	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	छ)आदेश संतोषपूर्ण पूरा करने के बाद जमानत राशि की वापसी	पैरा 445—एस और रेलवे बोर्ड का दि० 29.02.88 का पत्र सं. 86/आरएस (जी)/779/8	भंडानिक / मु.सा. प्र. को पूर्ण शक्ति तक	पूर्ण शक्ति	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है।
2.09	ज) आदेशों/वारंटी आब्लीगेशन (डब्लूबीजी के लिए) को संतोषपूर्वक संपन्नता के बाद जमानत राशि डब्लूबीजी की वापसी	पैरा 445—एस एवं रेलवे बोर्ड का दि.29.02.88 का पत्र सं. 86/आरएस(जी)/779/8	भंडानिक/मुसाप्र को पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति	उनके सामान्य क्रय शक्ति तक	उनके क्रय की सामान्य शक्ति तक	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है। मामलों के निर्णय के उपरान्त स्वतः एवं शीघ्र यह कार्रवाई की जाए।
2.09	झ)वित्तीय सहमति से प्रोफार्मा इनवायस के तहत 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान	रेलवे बोर्ड का दि.12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (24)	सीधे स्वीकृति के मामले: भंडानिक रु. 15 लाख तक मु.सा. प्रबं. रु. 8 लाख तक टी.सी. मामलों में भंडानिक अपनी स्वीकृति शक्ति तक	शून्य	शून्य	शून्य	
2.09	ज) ऐसे मामलों में जहां वसूली केवल विधिक कार्रवाई या विवाचन के माध्यम से परिनिर्धारित नुकसान की वसूली अधित्याग और जोखिम खरीद के कारण हुए घाटे को बट्टे खाते में डालना (ऐसे मामलों में दोषी फर्म के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई जैसे सूची से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है।	रेलवे बोर्ड का दि.12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (26)	भंडानिक रु. 1.5 लाख तक मु.सा.प्र. रु. 75000/— तक	रु. 40000/— तक	शून्य	शून्य	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग केवल नितान्त सावधानी से और जब विवाचन और विधिक कार्रवाई किए जाने के अलावा अन्य तरीके अपना लिए गए हों। दोषी फर्म के विरुद्ध उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	g) Refund of Security Deposit/WBG after Satisfactory Completion of Order/Warranty obligation (for WBG)	Para 445-5& Rly. Bd's letter No. 86/RS(G)/779/8 dt. 29.02.88	COS/CMM full powers.	Full Power	Up to his normal power of purchase	Up to his normal power of purchase	This power can be exercised without financial concurrence This should be done automatically and at earliest after the decision in the case is made.
2.09	h) Refund of Earnest Money of unsuccessful Tenderers after finalization of tender case.	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	
2.09	I) 100% advance payment against proforma invoice with finance concurrence.	Item No. 2.0 (24) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.15	In direct acceptance cases COS upto 15 lakh CMM upto ₹8 Lakh in TC cases-COS upto his powers of acceptance	cmm upto Rs. 8 Lakh	Nil	Nil	
2.09	j) To write off loss due to risk purchase and to waive recovery of liquidated damages in cases where recoveries could be made only by restoring to arbitration or legal action (In such cases suitable action such as delisting be considered against the defaulting firms)	Item No. 2.0 (26) of Rly. Bd's letter no. 88/RS(G)/779/14 pt, dt. 12.03.15	COS upto 1.5 Lakhs CMM up to Rs. 75,000/-	up to Rs. 40,000/-	Nil	Nil	These powers can be exercise without finance concurrence. These powers should be exercised with utmost care only and only when all other modes of recovery except through arbitration and legal action have been exhausted suitable administrative active should be taken against defaulting firms.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	ट) संविदा के अंतर्गत उठे किसी विवाद के विरुद्ध विवाचन निर्णय की स्वीकृति रेलवे बोर्ड के दि० 09.01.04 के पत्र सं. एफ (एक्स) 2-2003/पी. डब्ल्यू/ 10 में दी गई शर्तों के अंतर्गत हो	रेलवे बोर्ड का दि० 09.01.04 का पत्र सं. एफ (एक्स) / 2 / 2003 / पी. डब्ल्यू/ 10	रु. 50000 /— तक	शून्य	शून्य	शून्य	इन शक्तियों का प्रयोग बिना वित्तीय सहमति के किया जा सकता है।
2.09	ठ) सड़क मार्ग द्वारा रेल सामाग्री के संचालन का प्राधिकारी	रेलवे बोर्ड का दि० 21.09.97 का पत्र सं. 87/आरएस (जी)/ 779 / 26	पूर्ण शक्ति	उनकी क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनकी क्रय की सामान्य शक्ति तक	उनकी क्रय की सामान्य शक्ति तक	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.09	k) Acceptance of arbitration awards against any dispute arising out of a contract, subject to the conditions laid down in item 36 of Rly. Board's letter No.F(X)II/2003/PW/10 dt. 09.01.2004	Rly. Board's letter No.F(X)II/2003/PW/10 dt. 09.01.2004	Upto Rs. 50,000/-	Nil	Nil	Nil	These powers can be exercised without finance concurrence.
2.09	l) Authorization of movement of Rly. material by road.	Rly. Bd. letter No. 87/RS(G)/779/26 dtd.21.2.97	Full Power	Up to his normal power of purchase.	Up to his normal power of purchase.	Up to his normal power of purchase.	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.10	भण्डार अधिकारी की स्थानीय क्रय शक्ति— कम मूल्य के सामग्री की स्थानीय खरीद (स्टाक और नान स्टोक दोनों) (पैरा-711 एस की शर्त के अनुसार)	रेलवे बोर्ड के दि. 12.03.15 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14 पीटी की मद सं. 2.0 (13)	प्रत्येक मामले में रु. 1 लाख तक	उपमु.सा.प्र./डिपो द्वारा प्रत्येक मामले में रु. 1 लाख तक	व.सा.प्र./डिपो द्वारा प्रत्येक मामले में रु. 50000/— तक	स.सा.प्र./डिपो द्वारा प्रत्येक मामले में रु.20000/— तक	क) पैरा 711—एस में दिए गए निम्नलिखित शर्तों पर ध्यान दिया गया:— 1) सामान्य वार्षिक प्रतिपूर्ति (रिक्यूपमेंट) मात्रा प्रत्येक मामले में रु. एक लाख से अधिक न हो। 2) मद का स्टोक मूल्य रु. 50000/— से कम होना चाहिए या मद का स्टोक बहुत कम हो और मद की तत्काल आवश्यकता हो। 3) जानबूझकर मात्रा कम न किया गया हो ताकि शर्त सं. 1 एवं 2 के अंतर्गत लाकर खरीद की जा सके। 4) भुगतान किए जाने वाला मूल्य युक्ति संगत है, उससे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही खरीद की जाए। 5) रु. 15000/— से कम लागत की सामग्री की खरीद एकल कोटेशन पर किया जा सकता है, परन्तु रु. 15000/— से अधिक लागत की खरीद एक से अधिक फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर की जाए और ऐसे कोटेशनों का उपयुक्त रिकार्ड रखा जाए। 6) वर्तमान में कोट किए गए दर को पिछली दर से निश्चित रूप से तुलना की जाए और अधिक अंतर होने पर स्थानीय खरीद करने से पहले उसकी स्थिति परखी जाए। 7) छोटी-छोटी स्थानीय खरीद अर्थात् रु. 5000/— तक की वरि. वेतनमान, रु. 15000/— तक क.प्र. श्रेणी एवं रु. 15000/— तक की खरीद मु.सा.प्र. द्वारा एकल कोटेशन पर की जा सकती है। छोटी स्थानीय खरीद रु. 2000/— तक वरि. वेतनमान/क.प्र. श्रेणी/वरि.प्र.श्रेणी द्वारा बिल पर की जा सकती है। इस प्रकार का भुगतान नकद रूप से इम्प्रेस्ट से की जा सकती है। 8) डीरेका के विपणन विभाग में तैनात स.प्रा.प्र. रु. 20000/— तक एवं वरि.सा.प्र. रु. 50000/— तक की प्रत्येक मामले में तत्कालिकता के आधार पर खरीद मु. विपणन प्रबंधक द्वारा तत्कालिकता प्रमाणित होने पर कर सकते हैं। यह खरीद भंडार संगठन के दिशा निर्देश एवं प्रक्रियाओं के अधीन होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त खरीद भंडार नियंत्रक संगठन द्वारा नहीं की जाएगी। 9) प्रत्येक मामलों में रु. 1 लाख तक जबकि एकल निविदा के आधार पर रु. 15000/रु— प्रत्येक मद की स्थानीय खरीद की शक्ति।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.10	Local Purchase Power of Stores Officer Local purchase of material of small value (both stock & non-stock). (In terms of Para 711-S)	Para 711-S Item No. 2.0 (13) of Rly. Bd's letter no. 88/RS/(G)/779/14 pt, dt. 12.03.2015	Up to Rs. 1 lakh in each case	Up to Rs. 1 lakh in each case by Dy. CMM/D only.	Up to Rs. 50000/- in each case by SMM/D only	Rs. 20,000/- in each case by AMM/D only.	<p>A Following Conditions prescribed in para 711-S should be observed:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The normal annual recoupment quantity does not exceed Rs. one lakh in value in each case. 2. The stock value of the item is less than Rs. 50000/- or stock of the item is low and the item is urgently required. 3. Quantity is not deliberately reduced with a view to bringing the purchase within the scope of condition no 1&2. 4. Purchase should be made only after satisfying himself/herself that price being paid is reasonable. 5. For items costing up to Rs. 15000/- single quotation may be obtained but for items costing more than 15000/- quotations from more than one firm are required to be obtained and a proper record is to be maintained of such quotations. 6. The current rates quoted should invariably be compared with the last purchase rates and large differences checked up before making local purchase. 7. Petty local purchase up to Rs. 5000/- by Sr. Scale, Rs. 15,000/- by JAG and up to Rs. 15,000/- by CMM can be made on single quotation Petty local purchase up to Rs. 2000/- by Sr. Scale/JAG/SAG can be made against bills. Such purchases may be paid in cash from imprest. 8. AMM up to Rs. 20,000/- & SMM up to 50,000/- each case, posted in Marketing division of DLW may do local purchase of emergent items where in urgency- has been certified by CMgM. Procedures and guidelines as applicable to COS's organization would continue to be applicable here, also. Only one case will be processed & it will be confirmed that this purchase is not/will not be made from COS's purchase organization. 9. Up to Rs. 1 lakhs per case. However powers for local purchase on single quotation basis up to Rs. 15000/- each item.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							खरीद के संबंध में भण्डार की प्रक्रिया एवं मार्ग निर्देश अपनाया जाएगा। एक समय में केवल किसी एक मामले पर कार्यवाही शुरू की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भण्डार विभाग द्वारा क्रय की कार्यवाही नहीं है/नहीं की जाएगी।
2.11	सामग्री स्टॉक में न रहने पर (स्टॉक और नान स्टॉक) अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थानीय						<p>1. म. एवं स. और टूलिंग पर वार्षिक अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। इन मामलों में बजटरी सीमा रखी जानी है।</p> <p>2. छोटी-छोटी स्थानीय खरीद रु. 2000/- तक क.प्र. श्रेणी और रु. 1000/- तक वरि. वेतनमान अधिकारी द्वारा एकल कोटेशन पर क्रय किया जा सकता है। (प्राधिकार पैरा 711 एस)</p>
	क) दर संविदा मदों और स्टेशनरी भण्डार के अलावा स्टॉक और नान स्टॉक मदों की स्थानीय खरीद बशर्ते की प्रतिमाह प्रति विभाग रु. 50000/- की अधिकतम सीमा के अन्दर।	दि० 31.07.14 का शु.प.सं. 41	प्रत्येक मामले में रु. 15000/- तक प्रमुख/मुख्य विभागाध्यक्ष एवं रु. 10000/- तक एस.ए.जी.	प्रत्येक मामले में रु. 5000/- तक	प्रत्येक मामले में रु. 1000/- तक	शून्य	
	ख) प्रिंटेड फार्मों सहित स्टेशनरी की स्थानीय खरीद बशर्ते कि प्रत्येक बशर्ते विभाग प्रति वर्ष रु. 20000/- की सीमा के अन्दर रहे।		वही	वही	शून्य	शून्य	
2.12	कार्यालयी मशीनरी एवं अप्लासंय के क्रय, किराए पर लेना, अनुरक्षण तथा रख-रखाव (कम्प्यूटर संबंधी मदों के अतिरिक्त अन्य मदों के लिए सभी विभागों द्वारा प्रयोग किया जाएगा)						<p>1. प्रत्येक मामले में रु. 5000/-तक से अधिक के मामले पूर्व वित्तीय सहमति आवश्यक है।</p> <p>2. उपकरणों के रख-रखाव पर ऐसे व्यय के रिकार्ड रखने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा रजिस्टर रखा जाए।</p> <p>3. कार्यालय की मशीनरी और अप्लायंसेस में फोटो कॉपीयर, फैक्स मशीन, घड़ी, टी.वी., ए.सी. डिजिटल कैमरा, फ्रीज इत्यादि शामिल है। तथापि टी.वी., ए.सी. डिजिटल कैमरा, फ्रीज के लिए प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक है।</p> <p>4. मरम्मत का वित्तीय औचित्य रखा जाएगा और रिकार्ड किया जाएगा।</p> <p>5. रु. 2 लाख से अधिक कार्य लागत के लिए औचित्यता और दर निर्णय के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी और टी सी की बैठक की जाएगी।</p> <p>6. ओ ई एम के मामले में कार्य का निष्पादन करते समय पी ए सी आवश्यक होगी।</p>
2.12	क)बदलते/अतिरिक्त खाते में खरीद।		पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति	शून्य	शून्य	
2.12	ख)अस्थाई कार्यालयों, जाँच आयोग के संबंध में किराएदारी		वही	वही	शून्य	शून्य	

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
							<p>- has been certified by CMgM. Procedures and guidelines as applicable to COS's organization would continue to be applicable here, also. Only one case will be processed & it will be confirmed that this purchase is not/will not be made from COS's purchase organization.</p>
2.11	Local purchase by office of other Deptts. When material (Stock & Non-stock) is out of stock :						
	a) Local purchase of stock and non-stock items other than Rate Contract items and stationery stores subject to ceiling limit of Rs. 50,000/- per month per department.	C.S. No. 41 dt. 31.07.2014.	PHOD/CHOD Up to Rs. 15,000/- & SAG Up to Rs. 10,000/- in each case.	Up to Rs. 5000/- in each case.	Up to Rs. 1000/- in each case.	Nil	<p>I) Annual ceiling limit is not applicable to M&P spares and tooling. In this cases however budgetary ceiling will have to be maintained. ii) Petty local purchase upto Rs. 2,000/- by JAG and above Rs. 1,000/- by Sr. Scale Officer can be made on single quotation (Authority Para 711S.)</p>
	b) Local purchase of stationary including printed forms subject to ceiling of Rs. 20,000/- per annum each department.		-do-	-do-	Nil	Nil	
2.12	Purchase, hiring, maintenance and upkeep of office machinery & appliances (to be exercised by all departments- except Computer related items.)						<p>I) Prior concurrence of finance is necessary for expenditure of more than ₹ 5000/- in each case. ii) Each department will maintain registered to record for such expenditures on maintenance of equipment. iii) Office machinery & appliance will include photocopiers, Fax machines, time clock, T.V., A.C. digital Camera, fridge etc. However for T.V. A.C. digital camera, fridge approval of PHOD/CHOD is require. iv) Financial justification of repair will be watched and to be recorded. v) Tenders will be invited and TC will be held to decide reasonableness or rates for works costing more than Rs. Two lakhs. vi) In case of OEM executing the job; PAC will be required.</p>
2.12	a) Purchase on replacement/additional account		Full powers	Full Powers	Nil	Nil	
2.12	b) Hiring in connection with temporary offices, commission of inquiries etc.		-do-	-do-	Nil	Nil	

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.12	ग)फोटोकापियर और फक्स मशीन इत्यादि सहित अन्य मशीनरी एवं अप्लायंस की वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण।		अध्याय-3 के अंतर्गत उनकी सामान्य कार्य संविदा शक्ति तक पूर्ण शक्ति	अध्याय-3 के अंतर्गत उनकी सामान्य कार्य संविदा शक्ति तक पूर्ण शक्ति	प्रत्येक मामले में रु. 1000रु- तक	शून्य	4. रु. 2 लाख से अधिक कार्य लागत के लिए औचित्यता और दर निर्णय के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी और टी सी की बैठक की जाएगी। 5. ओ ई एम के मामले में कार्य का निष्पादन करते समय पी ए सी आवश्यक होगी।
2.12	घ)जब टाइपराइटर एवं अन्य अप्लायंस तथा फर्नीचर की मरम्मत आर्थिक रूप से लाभकारी न हो तो उन्हें अनुपयोगी घोषित करना।		पूर्ण शक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	अनुपयोगी घोषित करने हेतु एक स्थायी सर्वे कमेटी का गठन किया जाय। जिसमें कि एक लेखा विभाग का, एक भण्डार विभाग का एवं एक कार्यवाही विभाग का कनिष्ठ/ वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी होगा।
2.12	ङ)काटिज, रीबन, कंज्यूमेबल, कार्यालय मशीन के अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि की खरीद एवं कार्यालय मशीनरी और अप्लायंस फोटो कापियर फैक्स मशीन इत्यादि का रख-रखाव।		प्रधाना विभागाध्यक्ष/ मुख्य विभागाध्यक्ष को पूर्ण शक्ति और वरि.प्रशा. श्रेणी रु. 20000/- तक	रु. 5000/- तक	शून्य	शून्य	रु. 10000/- से अधिक की खरीद के लिए पूर्ण वित्तीय सहमति आवश्यक है।
2.13	क) नई मदों अथवा विक्रेताओं के विकास से संबंधित विकास प्रस्ताव		मुयांजी प्रति मदों के लिए 1.0 करोड़ रुपए तक तथा मु.अभि.इंजी. प्रति मद 25.0 लाख रुपए तक	शून्य	शून्य	शून्य	1. सभी मामलों में वित्तीय सहमति आवश्यक है। 2. यदि सामान्य भंडार निविदा के आधारपर एकल/ सीमित निविदा से नई मदों का विकास प्रस्ताव है तो महाप्रबंधक का भी अनुमोदन आवश्यक भी है। 3. रेलवे बोर्ड तथा अ. अ. एवं मा.सं. द्वारा जारी आदेशों का ध्यान रखा जाए। 4. क्रय, भण्डार विभाग के माध्यम से किया जाना है। 5. बशर्ते कि डीरेका नियंत्रित मदों के लिए मुअभिइंजी द्वारा प्रस्ताव की अनुमति दी गई हो। 6. रेलवे बोर्ड तथा अ. अभि. एवं मानक संगठन द्वारा नियंत्रित मदों के लिए महाप्रबंधक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.12	c) Annual repairs and maintenance of other office machinery and appliances including photo copiers, fax machine etc.		Full power upto their normal works contract powers under chapter III	Full power upto their normal works contract powers under chapter III	Up to Rs. 1000/- in each case.	Nil	vi) Tenders will be invited and TC will be held to decide reasonableness or rates for works costing more than Rs Two Lakhs. vii) In case of OEM executing the job, PAC will be required.
2.12	d) To condemn typewriters and other appliances including furniture when they are beyond economic repairs.		Full powers	Full powers	Nil	Nil	Standing Survey committee may be nominated having 3 members one from executive, one from stores & one from finance at Jr/Sr. level.
2.12	e) Purchase of cartridge, ribbon, consumables, spares of office Machines etc. to up keep the office machinery & appliances, photo copiers, fax machine etc.		PHOD/CHOD Full Powers SAG Up to Rs. 20000/-	Up to Rs. 5,000/-	Nil	Nil	Prior finance concurrence is required for purchase of more than Rs. 10000/-
2.13	Development proposal for new item or involving development of vendors		CME upto Rs. 1.0 Cr per item. CDE upto Rs. 25 Lakhs per item	Nil	Nil	Nil	i) Finance concurrence is necessary in all cases ii) GM's approval is required if developmental proposal for new items is on Single/Limited Tender basis as per normal Stores Tenders. iii) Orders issued by Railway Board & RDSO are to be kept in view. iv) Procurement is to be done through Stores Deptt. v) Subject to Proposal cleared by CDE for DLW controlled item. vi) Approval of GM will be required for items controlled by Rly. Board and RDSO.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.14	(ग) वापसी के आधार विकासात्मक आदेश के विरुद्ध फर्म को नमूना जारी करना।	रे.बो.का पत्र सं. 73/आर एस (जी) 779/51 दि. 28.6.1976	पूर्ण शक्ति	उनके स्वीकृति के स्तर तक	शुन्य	शुन्य	<ul style="list-style-type: none"> • मु.अभि.इंजी. की अनुमति के बाद सामग्री निर्गत किया जाएगा ! • वित्तीय सहमति आवश्यक होगी। • सामग्री की लागत का अग्रिम भुगतान/बीजी (भंडार कोड के पैरा 2327, 2328 एवं 2329 की शर्तों के तहत बीजी/अग्रिम भुगतान का मूल्य लिया जाएगा) • नमूना पीस भंडार विभाग द्वारा दिए गये निर्धारित समय में वापस किया जायेगा। निर्धारित समय में नमूना वापस न करने की स्थिति में, बीजी को नकद बनाया अथवा अग्रिम भुगतान को जप्त कर लिया जायेगा। • फर्म द्वारा नमूने की वापसी की निर्धारित अवधि का बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले अनुरोध को क्रेता द्वारा फर्म की मामलों संबंधी काबिलियत की स्थिति सुनिश्चित कर लेने पर बीजी के विस्तार विचार किया जाएगा (ऐसे मामलों में जिसमें फर्म द्वारा सामग्री की लागत के विरुद्ध बीजी दिया जा चुका हो)। • नमूने पर फर्म द्वारा कोई हानिकारक जांच नहीं किया जायेगा। • फर्म द्वारा नमूने की मशीनिंग नहीं की जाएगी। • नमूना पीस "अनेक में से एक" होगा तथा भविष्य में प्राप्त विशिष्टि में किसी पोस्ट संविदा परिवर्तन के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा।

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.14	c) To issue the sample to the firm against developmental order on returnable basis.	Rly.Bd's letter no 73/RS(G)/7779/51 dt-28.06.1976	Full power	Up to their level of acceptance	Nil	Nil	<ul style="list-style-type: none"> Material to be issued after clearance from CDE. Finance concurrence will be required. Advance payment/BG of cost of material. (Value of BG/Advance payment to be worked out in terms of Para 2327, 2328 & 2329 of Stores Code) The sample piece is to be returned within stipulated time given by Stores Department. In case sample is not returned within stipulated time, BG will be en-cashed or advance payment will be forfeited. Request for extension of stipulated time for return of sample by firms may be considered by purchaser in deserving cases subject to the condition that firm will submit extension of BG in time (For cases where in BG has been given by firm against cost of material). Firm will not do any destructive testing on the sample. Firm will not subject the sample to the machining. The sample piece is just "one of the many" & cannot be made the basis for any post contract change in drawing specification in future.

केवल भण्डार विभाग द्वारा इन शक्तियाँ का प्रयोग किया जाए जब कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

मद सं०	कार्यों का स्वरूप	प्राधिकार	प्रत्यायोजित शक्तियों का विस्तार				अभ्युक्तियाँ																				
			वरिष्ठ प्रशा० श्रेणी	कनिष्ठ प्रशा० श्रेणी	वरिष्ठ वे० मान	कनिष्ठ वेतनमान/गुप बी																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																				
2.16	तत्काल क्रय समिति (स्पोर्ट पर्चेज कमेटी) के माध्यम से खरीद	जेपीओ सं. डी.एल.डब्ल्यू. एस/88/ पीटी-XVI दि. 24.07.15 के अनुसार					<p>स्पोर्ट निस्पवाद रूप से 3 अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा। उक्त कमेटी से एक स्टोर विभाग से (मु.भं.नि. द्वारा नामित) एक लेखा विभाग से (वि.सं. मुलेधि द्वारा नामित) एवं एक इंडेन्टिंग विभाग से (संबंधित प्रधान विभागाध्यक्ष/मु.विभागाध्यक्ष द्वारा नामित होगा) रु. 8 लाख तक मूल्य (कुल मूल्य टैक्स एवं ड्यूटी को शामिल कर) के मामलों के लिए भ.नि. स्पोर्ट क्रय समिति के माध्यम से खरीद के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस सीमा से अधिक की खरीद के मामले में महाप्रबंधक को अनुमोदन आवश्यक है। स्पोर्ट खरीद समिति का स्तर निम्नलिखित होगा—</p> <table><tr><th>क्रम</th><th>भंडार विभाग</th><th>उपभोक्ता विभाग</th><th>लेखा विभाग</th><th>खरीद का मूल्य</th></tr><tr><td>01</td><td>वरि. वेतनमान</td><td>वरि. वेतनमान</td><td>वरि. वेतनमान</td><td>रु. 15 लाख तक</td></tr><tr><td>02</td><td>कनि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>कनि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>वरि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>रु. 15 लाख से अधिक व 45 लाख तक</td></tr><tr><td>03</td><td>वरि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>वरि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>कनि. प्रशासनिक श्रेणी</td><td>रु. 45 लाख से अधिक</td></tr></table> <p>नोट(1) यदि एक से अधिक मदों की एक साथ स्पोर्ट खरीद होती है तो सभी मदों का कुल मूल्य मानदंड होगा। (2) भंडार अधिकारी सामान्यतया समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।</p>	क्रम	भंडार विभाग	उपभोक्ता विभाग	लेखा विभाग	खरीद का मूल्य	01	वरि. वेतनमान	वरि. वेतनमान	वरि. वेतनमान	रु. 15 लाख तक	02	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	रु. 15 लाख से अधिक व 45 लाख तक	03	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	रु. 45 लाख से अधिक
क्रम	भंडार विभाग	उपभोक्ता विभाग	लेखा विभाग	खरीद का मूल्य																							
01	वरि. वेतनमान	वरि. वेतनमान	वरि. वेतनमान	रु. 15 लाख तक																							
02	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	रु. 15 लाख से अधिक व 45 लाख तक																							
03	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	वरि. प्रशासनिक श्रेणी	कनि. प्रशासनिक श्रेणी	रु. 45 लाख से अधिक																							

Powers to be exercised by officers of Stores Deptt. Only except where specifically otherwise stated.

ITEM NO.	NATURE OF WORKS	AUTHORITY	Extend of power delegated				REMARKS																				
			SAG	JA Grade	Sr. Scale	Jr. Scale/ Group 'B'																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																				
2.16	Purchase through spot purchase committee	As per JPO no. DLW-S/82/pt-XVI, dt. 24.07.15					<div>The spot purchase would invariably be made by a committee of 3 officers, one from Sores Deptt. (to be nominated by COS), one from Accounts Deptt. (to be nominated by FA&CAO), and one from Indenting Deptt. (to be nominated by concerned PHOD/CHOD). For cases valuing up to ₹ 8 lakh (total value inclusive of taxes and duties), COS will be competent authority to approve purchase through spot purchase committee. For case of value higher than this limit approval of GM will be required. The level of spot purchase committee will be as under:-</div> <table><tr><td>Sl. No.</td><td>Store Deptt</td><td>Consuming Deptt</td><td>Account Deptt</td><td>Value of Purchase</td></tr><tr><td>01</td><td>Sr. Scale</td><td>Sr. Scale</td><td>Sr. Scale</td><td>up to ₹15 lakh</td></tr><tr><td>02</td><td>JAG</td><td>JAG</td><td>Sr. Scale</td><td>over ₹15 lakh & upto ₹45 lakhs</td></tr><tr><td>03</td><td>SAG</td><td>SAG</td><td>JAG</td><td>above ₹45 lakh</td></tr></table> <div>Note- (i) If there are more than one item to be spot purchased simultaneously, the total value of all the items would be the guiding criteria. (ii) The Stores Officer will normally act as the Convener of the Committee.</div>	Sl. No.	Store Deptt	Consuming Deptt	Account Deptt	Value of Purchase	01	Sr. Scale	Sr. Scale	Sr. Scale	up to ₹15 lakh	02	JAG	JAG	Sr. Scale	over ₹15 lakh & upto ₹45 lakhs	03	SAG	SAG	JAG	above ₹45 lakh
Sl. No.	Store Deptt	Consuming Deptt	Account Deptt	Value of Purchase																							
01	Sr. Scale	Sr. Scale	Sr. Scale	up to ₹15 lakh																							
02	JAG	JAG	Sr. Scale	over ₹15 lakh & upto ₹45 lakhs																							
03	SAG	SAG	JAG	above ₹45 lakh																							